भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4921

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां

4921. श्री हरीश मीना:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा धोखाधड़ी करने वाली सील की गई कंपनियों गिरफ्तार किये गये लोगों और जब्त किये गये उनके खातों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने देश में अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं जिसमें निवेशकों ने अपना धन गंवाया है के प्रसार हेतु सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी को जिम्मेदार ठहराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसएफआईओ ने छोटे निवेशकों के जीवन भर की बचत को सुरक्षित करने हेतु निवारक कार्रवाई हेतु सरकार से आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय या इसके अधीन/संबद्ध किसी कार्यालय ने प्रश्नाधीन अवधि के दौरान किसी कंपनी के परिसर को सीज नहीं किया है या लेखे जब्त नहीं किए हैं और न ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

(ख) से (ग): जी, नहीं।

(घ): लागू नहीं होता।

*****